

नीलामी विक्रय सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

नीलामी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार (से) और गारंटीदाता (ओं) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक पड़ी / प्रभारित निम्नलिखित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक / भौतिक / सांकेतिक कला बैंक / प्रतिभूत लेनदार के संबंधित अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को सम्पत्ति कर्जदार (से) और गारंटीदाता (ओं) से बैंक / प्रतिभूत लेनदार के पास उनके बकायों की वसूली हेतु, निम्नलिखित सारणी के अंकितानुसार लिखि को "जैसी है जहां है", "जो भी है वही है" आधार पर देया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि, सम्पत्ति सम्पत्तियों के समक्ष निम्न सारणी में अंकितानुसार होगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम : स्वार	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	भाग सूचना		आरक्षित मूल्य	बचाना राशि तथा ईएमडी जमा करने की शक्ति लिखि	कब्जे की दिनांक कब्जे का प्रकार	नीलामी का स्थान व समय
			भाग सूचना का तिथि बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि बकाया राशि				
1.	ऋणी : नैसर्ग गावली इंदरप्रहोज प्रोप. शाहरोज खान पुत्र जलीस अहमद, पता : मोहल्ला मोहल्ला नगर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, गारंटर : 1. अजमल खान पुत्र बबू खान निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 2. जलीस अहमद पुत्र फिदा हुसैन निवासी अली नगर उलसी, तहसील स्वार, जिला रामपुर	वचक सम्पत्ति विहायशी भवन जिसका क्षेत्रफल 509.08 वर्ग मीटर है, जोकि स्थित है गेट नं. 132, मोहल्ला चक स्वार, तहसील स्वार, जिला रामपुर में स्थित है। सम्पत्ति का स्थापित अजमल खान पुत्र बबू खान निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील स्वार, जिला रामपुर, चौहददी : पूरब में : निरजपुर-मोहल्ला नगर मार्ग 8 मीटर चौड़ा, पश्चिम में : चक मार्ग 8 फिट चौड़ा, उत्तर में : सुरेश बाबू का खेत, दक्षिण में : सर्दहन का खेत	03.06.2023	27.19.063.50/- रि. 31.03.2023 तक + ब्याज व अन्य खर्च	79.50 लाख	7.95 लाख	10.08.2023	30.01.2024 मंगलवार क्षेत्रीय कार्यालय, रामपुर समय : प्रातः 11:00 बजे से 02:00 बजे तक
2.	ऋणी : नैसर्ग सल्लाना ट्रेडिंग कंपनी, प्रोपराइटर मो. फहीम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, गारंटर : 1. मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद इनीफ निवासी मोहल्ला काशीपुर स्वार, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 2. अनीस अहमद पुत्र साफीक अहमद निवासी मोहल्ला चक स्वार, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 3. शमीम अख्तर पुत्र अब्दुल सलाम, निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 4. नसीम अख्तर पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 5. शीमती खैरुल निशा पत्नी अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 6. मोहम्मद शकील पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 7. मोहम्मद जलीस पुत्र शकील अहमद निवासी मोहल्ला रसूलपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर	वचक सम्पत्ति विहायशी भवन जिसका क्षेत्रफल 1190.00 वर्ग मीटर है, जोकि मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर में स्थित है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील-स्वार, जिला रामपुर में पंजीकृत सम्पत्ति का स्थापित मो. फहीम, शमीम अख्तर, नसीम अख्तर तथा मोहम्मद शकील अली पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर तथा शीमती खैरुल निशा पत्नी अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर के नाम में, चौहददी : पूरब में : स्वार-बाजपुर रोड, पश्चिम में : इस्माइल का मकान, उत्तर में : अहमद नसी की दुकान, दक्षिण में : चक रोड	11.07.2023	32.56.711.00/- रि. 11.07.2023 तक + ब्याज व अन्य खर्च	190.1 लाख	19.01 लाख	14.09.2023	30.01.2024 मंगलवार क्षेत्रीय कार्यालय, रामपुर समय : प्रातः 11:00 बजे से 02:00 बजे तक

नीलामी की नियम व शर्त : 1. नीलामी के समय बोलीदाता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत बचाना राशि के लिये ड्राफ्ट / पे आर्डर / आर.टी.ओ.एस / एन.ई.एफ.डी. जो प्राधिकृत अधिकारी प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 2. बोलीदाता को अपना आधार नंबर / पेन कार्ड साथ लाना होगा। 3. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकार होने ही उन्हें नीलामी बोली का 25 प्रतिशत राशि (अर्नस्ट मनी समायोजित करते हुए) उसी दिन जमा करनी होगी तथा शेष राशि 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी, अन्यथा पूर्व में जमा राशि जफ्त कर ली जायेगी। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों का क्रय जहाँ है, जैसा है, के आधार पर किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कारण दर्शाए किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाता के ड्राफ्ट / पे आर्डर नीलाम सम्पत्ति के वाद उसी दिन बिना ब्याज के वापस कर दिये जायेगे। 6. इस्तेमाल वाली खर्च जैसे स्ट्याम व रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि एवं अन्य सभी विधि सम्बन्धित खर्च सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किये जायेगे। 7. सम्पत्ति पर समस्त सरकारी करों व देवताओं की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी हेतु प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक, में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी तथा बोलीदाता पांच हजार के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते, नीलामी पूर्ण होने पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण बकाया धरनाशि अदा कर देता है तो उपरोक्त खर्च में एक सम्पत्ति की नीलामी रद्द कर दी जायेगी। 11. यह नोटिस ऋणी, सहजुबानियाँ / बंधककर्ता को 30 दिन का नोटिस पठा जाये।

नामक : 26.12.2023 स्थान : रामपुर प्राधिकृत अधिकारी, प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक

नीलामी विक्रय सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

वित्तीय आरिक्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा पंजिब प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के अन्तर्गत अचल आरिक्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विक्री सूचना, आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार (सं) और गारंटीदाता (ओं) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक पट्टी / प्रभारित निम्नलिखित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनारामक / भौतिक / सांकेतिक कब्जा बैंक / प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को सम्बन्धित कर्जदार (सं) और गारंटीदाता (ओं) से बैंक / प्रतिभूत लेनदार के पास उनके बकायों की वसूली हेतु, निम्नलिखित सारणी के अंकितानुसार तिथि को "जेसी है जहां है", "जो भी है वही है" आधार पर बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि, सम्बन्धित सम्पत्तियों के समक्ष निम्न सारणी में अंकितानुसार होगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम : स्वार	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	मांग सूचना की तिथि वकाला राशि		आरक्षित मूल्य	व्यापक राशि तथा ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	कब्जे की दिनांक कब्जे का प्रकार	नीलामी का स्थान व समय
			मांग सूचना की तिथि	वकाला राशि				
1.	ऋणी : भैसर्स गाजी इंटरप्राइजेज प्रा. शाहबेज खान पुत्र जलीस अहमद, पता : मोहल्ला मोहल्ला नगर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, गारंटर : 1. अजमल खान पुत्र बब्बू खान निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 2. जलीस अहमद पुत्र फिदा हुसैन निवासी अली नगर उतली, तहसील स्वार, जिला रामपुर	बन्धक सम्पत्ति रियायती भवन जिसका क्षेत्रफल 509.08 वर्ग मीटर है, जोकि स्थित है भेट नं. 132, मोहल्ला चक स्वार, तहसील स्वार, जिला रामपुर में स्थित है। सम्पत्ति का स्थानित अजमल खान पुत्र बब्बू खान निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील स्वार, जिला रामपुर, चौहदरी : पूरब में : फिदाजपुर-मोहल्ला नगर मार्ग 8 मीटर चौड़ा, पश्चिम में : चक मार्ग 8 फिट चौड़ा, उत्तर में : पुरेशा बाबू का खेत, दक्षिण में : सईदन का खेत	03.06.2023	₹. 27,19,063.50/- ₹. 31,03,2023 तक + ब्याज व अन्य खर्च	79.50 लाख	7.95 लाख नीलामी से पूर्व	10.08.2023 सांकेतिक कब्जा	30.01.2024 मंगलवार क्षेत्रीय कार्यालय, रामपुर समय : प्रातः 11:00 बजे से 02:00 बजे तक
2.	ऋणी : भैसर्स सब्जाग ट्रेडिंग कम्पनी, प्रोपराइटर मो. फहीम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, गारंटर : 1. मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद इनीक निवासी मोहल्ला काशीपुर स्वार, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 2. अनीस अहमद पुत्र साफीक अहमद निवासी मोहल्ला चक स्वार, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 3. शमीम अख्तर पुत्र अब्दुल सलाम, निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 4. नसीम अख्तर पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 5. श्रीमती खैरुल निशा पुत्री अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 6. मोहम्मद शकील पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, 7. मोहम्मद जलीस पुत्र शकील अहमद निवासी मोहल्ला रसूलपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर	बन्धक सम्पत्ति रियायती भवन जिसका क्षेत्रफल 1190.00 वर्ग मीटर है, जोकि मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर में स्थित है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील-स्वार, जिला रामपुर में पंजीकृत, सम्पत्ति का स्थानित मो. फहीम, शमीम अख्तर, नसीम अख्तर तथा मोहम्मद शकील अली पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर तथा श्रीमती खैरुल निशा पुत्री अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला चक हरदासपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर के नाम में, चौहदरी : पूरब में : स्वार-बाजपुर रोड, पश्चिम में : इरमाइल का मकान, उत्तर में : अहमद नबी की दुकान, दक्षिण में : चक रोड	11.07.2023	₹. 32,56,711.00/- ₹. 11,07,2023 तक + ब्याज व अन्य खर्च	190.1 लाख	19.01 लाख नीलामी से पूर्व	14.09.2023 सांकेतिक कब्जा	30.01.2024 मंगलवार क्षेत्रीय कार्यालय, रामपुर समय : प्रातः 11:00 बजे से 02:00 बजे तक

नीलामी की नियम व शर्तें : 1. नीलामी के समय बोलौदाता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत धराना राशि के तिले ड्राफ्ट / पे आर्डर / आर टी जी एस / पन ई एफ डी, जो प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्राणीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोलौ से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 2. बोलौदाता को अपना आधार कार्ड / पन कार्ड साथ लाना होगा। 3. सफल बोलौदाता की बोलौ स्वीकार होती ही उन्हें नीलामी बोलौ का 25 प्रतिशत राशि (अनस्ट नबी समायोजित करते हूँ) उसी दिन जमा करनी होगी तथा शेष राशि 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी, अन्यथा पूर्व में जमा राशि जमा कर ली जायेगी, 4. उपरोक्त सम्पत्तियों का विक्रय जहां है, जैसा है, के आधार पर किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कारण दर्शाए किसी भी बोलौ को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलौदाता के ड्राफ्ट / पे आर्डर नीलाम सम्पत्ति के बाद उसी दिन बिना ब्याज के वापस कर दिये जायेगे। 6. हस्तारण सम्बंधी खर्च जैसे स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि एवं अन्य सभी विधि सम्बन्धित खर्च सफल बोलौदाताओं द्वारा वहन किये जायेगे। 7. सम्पत्ति पर सफल सरकारी कर्ज व देयताओं की निम्नलिखित बोलौदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी हेतु प्रथमा यू.पी. ग्राणीण बैंक, में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी तथा बोलौदाता पांच हजार के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकेंगे, नीलामी पूर्ण होने पर उच्चतम बोलौदाता को सफल बोलौदाता घोषित कर दिया जायेगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण बकाया धनराशि अदा कर देता है तो उपरोक्त खर्च में बंधक सम्पत्ति की नीलामी रद्द कर दी जायेगी। 11. यह नोटिस ऋणी, सहनुरोधियों / बंधककर्ता को 30 दिन का नोटिस पत्रा है।

दिनांक : 26.12.2023 स्थान : रामपुर प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू.पी. ग्राणीण बैंक